



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

जनपद आजमगढ़ में जनसंख्या वृद्धि एवं भूमि उपयोग के सन्दर्भ में ग्रामीण अधिवासों का भौगोलिक विश्लेषण का अध्ययन

शोध निर्देशक

डॉ० श्याम सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर

भूगोल विभाग

हिन्दू कॉलेज मुरादाबाद

उ०प्र०

शोधार्थी

दीनदयाल यादव

एम०ए०, नेट

भूगोल

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध अध्ययन क्षेत्र जनपद आजमगढ़ में ग्रामीण अधिवासों का क्षेत्रीय वितरण एवं आकारिकी का भौगोलिक विश्लेषण का अध्ययन है अधिवास एक क्षेत्रीय इकाई है जो मानव के द्वारा बसाव प्रक्रिया में निर्मित होती है मानव के बसाव प्रक्रिया के द्वारा वन्य क्षेत्र का रूपान्तरण मानकीकरण द्वारा किया जाता है। अधिवास के अन्तर्गत गृहों का समूह (पुरवा) से लेकर महानगर तक समाहित होता है। अधिवास का बसाव जनसंख्या के समूह से है। जनसंख्या आकार, व्यावसायिक संरचना, प्रशासकीय स्थिति के अनुसार अधिवास को दो भागों में विभाजित किया गया है—1. ग्रामीण अधिवास, 2. नगरीय अधिवास ग्रामीण अधिवास के अन्तर्गत, कृषि, पशुपालन, बागवानी उत्खनन पशुओं का शिकार, मछली पकड़ना आदि प्राथमिक कार्य ग्रामीण अधिवास में सम्मिलित है अधिवास अनुरूप की तीन आवश्यकताओं में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता माना जाता है। आदिम मानव जंगलों में रहकर जीवन यापन करता था। मानव सभ्यता का विकास होने के साथ मानव अपने रहने के विभिन्न प्रकार के अधिवासों का निर्माण करके निधि, पत्थर, ईंट, लोहा, कंकरीट आदि सामग्री के द्वारा अधिवासों का मानव समाज का सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्रियाओं का विकास ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप एवं वितरण के द्वारा किया जाता है।

प्रस्तावना

जनपद आजमगढ़




↖	जनपद सीमा
↗	तहसील सीमा
↙	विकास खण्ड सीमा
●	जनपद मुख्यालय
◎	तहसील मुख्यालय
●	विकास खण्ड मुख्यालय
—	पक्की सड़क

	रेलवे लाइन (बड़ी लाइन)
	नदियां
	नगरपालिका परिषद
	नगर पंचायत
	सेंसस टाउन
	पर्यटन स्थल
	थाना

आजमगढ़ जनपद का नाम राजा आजमशाह के नाम पर पढ़ा है जो राजा हरिवंश के पौत्र थे। 19 नवम्बर सन् 1988 में मऊ से अलग होकर पुनर्गठित हुआ।

इस जनपद की विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश में $25^{\circ}28'$ से $26^{\circ}27'$ उत्तरी अक्षांश तथा $82^{\circ}41'$ से $53^{\circ}52'$ पूर्वी दोल्नपुर के मध्य गंगा के निचली मैदान स्थित है। अब इस जनपद का क्षेत्रफल 2064 वर्ग किमी है। आजमगढ़ जनपद की पूर्वी सीमा मऊ दक्षिण एवं गाजीपुर दक्षिण में जौनपुर पश्चिम में सुल्तानपुर उत्तर पश्चिम में अम्बेडकरनगर, उत्तर-पूर्व में गोरखपुर द्वारा निर्धारित है। इस जनपद का पूर्व से पश्चिम 65 किमी० तथा उत्तर से दक्षिण 75 किमी है जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 1.60 प्रतिशत है। 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 4612134 है जिसमें पुरुष की जनसंख्या 2284157 तथा महिला की जनसंख्या 2327977 है तथा जनपद में लिंगानुपात $1000/1019$ है और साक्षरता 70.29 प्रतिशत है।

जनपद में जनसंख्या घनत्व 1138 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है तथा जनसंख्या वृद्धि 15.82 प्रतिशत है। इस जनपद में 8 तहसील, 22 विकासखण्ड तथा 278 न्यायपंचायत 25 थाना, 3800 गाँव स्थित हैं।



जनसंख्या विकास प्रतिरूप के अनुसार जनपद आजमगढ़ की जनसंख्या एवं आर्थिक विकास की वर्तमान रूपरेखा का आकलन करके एक ऐसी योजना प्रस्तुत करना है जिनके अनुसार जनसंख्या और पर्यावरण के बीच सन्तुलन बनाये रखने के लिए अध्ययन क्षेत्र जनपद आजमगढ़ में 2011 की जनगणना के आधार पर आंकलन किया गया है।

भूमि उपयोग का प्रतिरूप

भूमि प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन में आधारभूत संकल्पनाओं का सही—सही ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है क्योंकि भूमि उपयोग भौगोलिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। सामान्य बोल—चाल में धरातल या मिट्टी एक ऐसी वस्तु माना जाता है। जिस पर मनुष्य ठहर सकता हो मकान बना सकता हो, पशुपालन कर सकता हो, वन बाग—बगीचे, कृषि कार्य कर सकता हो। परन्तु भूगोलवेत्ताओं एवं कृषि वैज्ञानिकों की दृष्टि से भूमि का उपयोग वर्तमान समय में विभिन्न प्रकारों के कार्यों में किया जाता है। शोधार्थी ने अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग का वर्तमान 2015–16 के आंकड़ों के आधार पर भूमि उपयोग को हेक्टेअर में प्रस्तुत किया है।

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग का प्रतिरूप विभिन्न प्रखण्डों में भिन्न—भिन्न है जिसमें वर्तमान गणना के अनुसार वन क्षेत्र 248 है०, कृषि बेकार भूमि 5637 है०, वर्तमान परती भूमि 38684 है०, अन्य परती भूमि 5684 है०, ऊसर कृषि अयोग्य भूमि 6762 है०, खेती के अतिरिक्त अन्य भूमि 56543 है०, स्थायी चारागाह 1417 है०, अन्य वृक्ष एवं झाड़ियों की भूमि 6373 है० तथा कृषि योग्य भूमि 297005 है० है। इस प्रकार भूमि उपयोग में वर्ष 2013–14 की तुलना में 2015–16 में कृषि योग्य भूमि में कमी पायी गयी है तथा वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। भूमि खेती के अतिरिक्त में वृद्धि हुई है। स्थायी चारागाह की भूमि में कमी हुई है। वर्ष 2014–15 की तुलना में 2015–16 में 5651 है० भूमि उपयोग में कमी देखी गयी है। अध्ययन

क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न विकासखण्डों में कृषि उपयोग का प्रतिरूप 2015–16 के अनुसा निम्न प्रकार से है। अधिक भूमि उपयोग करने वाले प्रखण्ड हरैया 26380 हे0 महाराजगंज 24004 है, मार्टीनगंज 23235 हे0, ठेकमा 22768 हे0 तरवीं 21980 हे0 लालगंज 21299 हे0 पवई 20535 हे0 भूमि है तथा कम भूमि उपयोग करने वाले प्रखण्डों में पल्हनी 12725 हे0, अतरौलिया 13036 हे0, पल्हना 142589 हे0 है तथा 2015–16 की गणनानुसार चारागाह क्षेत्र में ठेकमा 194 हे0, मिर्जापुर 155 हे0 अधिक है। हरैया शून्य हे0, विलरियागंज 12 हे0 भूमि सबसे कम है। वन भूमि का उपयोग ठेकमा 35 हे0 पवई 25 हे0, विलरियागंज 23 हे0, जहानागंज 21 हे0 तथा मार्टीनगंज, अजमतगढ़, हरैया जैसे विकासखण्ड में वन भूमि नहीं है तथा परती भूमि हरैया 2650 हे0, ठेकमा 2549 हे0, तरवां 2304 हे0, अहिरौला 2146 हे0 मार्टीनगंज 2201 हे0, अतरौलिया 995 हे0 सबसे कम भूमि है।

भूमि उपयोग प्रबन्ध की चुनौतियों एवं मुद्दे

आज भूमि उपयोग प्रबन्धन की समस्याओं को देखते हुए यह समसामयिक आवश्यकता है कि शोधकर्ता, नियोजक, नीतिनिर्धारक ब्यूरोकेट टेक्नोकैट एक मंच पर भूमि उपयोग की समस्याओं एवं चुनौतियों पर गम्भीर शोध एवं संविमर्श में वंचित हैं। आजमगढ़ जनपद में इस समस्या की चुनौतियां एवं मुद्दे विकराल बनती जा रही हैं। पिछड़े क्षेत्रों में निर्धनता, निरक्षरता एवं विवशता की समस्या से भूमि उपयोग की नीति, राष्ट्रीय स्तर पर 1988 बना परन्तु वांछित परिणाम नहीं मिल पाये। भारत सरकार द्वारा विकास मन्त्रालय ने 2013 में राष्ट्रीय भूमि उपयोग नवीनीकरण नीति का ड्रॉफ्ट तैयार किया गया और जिला स्तर पर भूमि उपयोग का भूगर्भ जल की स्थिति, बाढ़ एवं सूखे एवं सतत कृषि उत्पादन उन्नयन के हेतु फसल प्रतिरूप कैसा हो जैसी समस्या का हल ढूढ़ा जा सके।

भूमि उपयोग से पर्यावरण अवनयन की समस्या एवं सुझाव

अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग की समस्या हेतु शोधार्थी ने भूमि के गलत उपयोग से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या का आकलन किया है। जनपद में भूमि उपयोग दिन–प्रतिदिन समस्या की जड़ बनती जा रही है। मानव का आधुनिक परिवेश दिनों दिन बदलता जा रहा है, क्योंकि भूमि पर अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि पर पड़ने वाले प्रभावों को देखते हुए हम कृषि, वन, चारागाह, पस्ती भूमि, जलाशय, जीव–जन्तु, वन–झाड़ियाँ आदि को दिन–प्रतिदिन कम करते जा रहे हैं जिससे हमें पर्यावरण अवनयन की समस्या स्पष्ट दिखाई देने लगी और हम भूमि उपयोग की समस्या पर अभी ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार भूमि उपयोग से पर्यावरण अवनयन की समस्या इस प्रकार से है जैसे मृदा अपरदन की समस्या, अम्लीय वर्षा से मृदा प्रदूषण की।

1. गृह निर्माण का उद्देश्य

- विश्राम के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के कार्यों को सम्पन्न करने के लिए विविध प्रकार—प्रकार के पूर्ण की आवश्यकता होती है। जिन उद्देश्यों से गृहों का निर्माण किया जाता है, उनमें प्रमुख निम्नांकित हैं।
- विश्राम के लिए तथा परिवार को रहने के लिए निवास—स्थान के रूप में गृह की आवश्यकता होती है। आर्थिक स्थिति तथा आवश्यकतानुसार गृह के आकार और प्रकार को निर्धारित किया जाता है।
- विभिन्न क्षेत्रों में सर्दी, धूप, वर्षा आदि पर्यावरणीय तत्वों, जंगली पशुओं, चोर—लुटेरों एवं शत्रुओं आदि से सुरक्षा के लिए गृहों का निर्माण किया जाता है।
- किसी भी स्थायी निवासी के लिए अपनी वस्तुओं, सम्पत्तियों, पशुओं आदि को रखने के लिए गृह निर्माण आवश्यक होता है। संग्रहालय, पशुशाला आदि बनाने का यही उद्देश्य होता है।
- विभिन्न प्रकार की मानवीय क्रियाओं तथा सेवाओं को संचालित करने के लिए विविध आकार—प्रकार के गृहों की आवश्यकता होती है। इन कार्यों में आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक—सांस्कृतिक क्रियाएं तथा राजनीतिक क्रियाएं प्रमुख हैं। आर्थिक क्रियाओं में जंगली वस्तुओं को एकत्रित करना, लकड़ी काटना, मत्स्य पालन, कृषि, निर्माण उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन एवं संचार, सेवाएं आदि प्रमुख हैं। इनके संचालन के लिए गोदाम, कार्यशाला, कारखाना, दुकान, बैंक, डाक एवं तारघर आदि के रूप में गृहों की आवश्यकता होती है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यों के लिए भी विद्यालय, सभागृह, पंचायत घर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, वीद्ध बिहार आदि के रूप में गृहों का प्रयोग होता है। इसी प्रकार राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए भी गृहों का निर्माण किया जाता है जिनके आकार एवं प्रकार में अधिक विविधता पायी जाती है। प्रशासनिक कार्यालय, पुलिस चौकी या थाना, सैन्य शिविर, किला, सचिवालय, निदेशालय, विधान सभा, संसद भवन आदि इसके अन्तर्गत समाहित किये जा सकते हैं।

अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण अधिवासों भौगोलिक अध्ययन

अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण अधिवासों का भौगोलिक अध्ययन के अन्तर्गत जलवायु, मिट्टी, जनसंख्या मानव क्रिया, सांस्कृतिक क्रिया—कलाप पर ग्रामीण अधिवास विकसित किये जाते हैं। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप भौगोलिक स्थिति एवं रचना के आधार पर ग्रामों का निर्धारण किया जाता है जनपद आजमगढ़ ग्रामीण अधिवास विभिन्न प्रतिरूपों में पाये जाते हैं। जैसे समतल मैदानी भागों में आयताकार झाल, तालाब में वृत्ताकार, सड़कों, नदियों के किनारे रेखीय, किसी आर्थिक, के चारों चाकोर ग्रामीण अधिवास पाये जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों अधिवासों की आवृत्ति अधिकतर आयताकार बने होते हैं। अध्ययन मध्य गंगा का मैदान है जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग तथा अन्य व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिवासों का निर्माण करती है। ग्रामीण अधिवास मानव के जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य स्थल है जनपद

का उत्तरी भाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एक तथा वहाँ के लोगों द्वारा अधिवास ऊँचे स्थान बनाये जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से मैदानी कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक, राजनीतिक जीवन के विकास के ग्रामीण अधिवास महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत शोध अध्ययन क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि एवं ग्रामीण अधिवासों का भौगोलिक अध्ययन के अन्तर्गत जनपद में ग्रामीण अधिवास तीन आवश्यकताओं में से एक महत्वपूर्ण माना जाता है। शोधार्थी के द्वारा बढ़ते हुए जनसंख्या वृद्धि एवं भूमि उपयोग के बदलते स्वरूप में ग्रामीण अधिवास बदलते जा रहे हैं। ग्रामीण अधिवासों में कुल जनसंख्या लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। उनके बढ़ते हुए जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व के अन्तर्गत ग्रामीण अधिवास बदलते जा रहे हैं जिससे भूमि उपयोग प्रतिरूप घटते जा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि एवं भूमि उपयोग की ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या के कारण अधिवास निर्माण से भूमि उपयोग पर प्रभाव दिखाई दे रहा है। शोधार्थी के द्वारा अपने क्षेत्र में ग्रामीण अधिवास का बदलता हुआ स्वरूप एवं पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या अब ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण एवं ग्रामीण अधिवासों के बीच जनसंख्या वृद्धि एवं भूमि उपयोग पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करके ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित ग्रामीण को विकसित करने की आवश्यकता है तथा ग्रामीण अधिवास का जनसंख्या एवं भूमि उपयोग के बीच सन्तुलन स्थापित करने की आवश्यकता होगी।

संदर्भ सूची

1. हीरालाल यादव, जनसंख्या भूगोल, 2005, वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर, पृ० 67
2. एस0डी0 कौशिक, मानव भूगोल, 1997, रस्तोगी प्रकाशन, मेरठ, पृ० 39–61
3. अल्का गौतम, कृषि भूगोल, 2009, शारदा पुस्तक भस्तन, इलाहाबाद, पृ० 129
4. सिंह, आर0एल0, भारत का प्रादेशिक भूगोल, 1971, पृ० 195
5. सिंह, उजागिर, नगरीय भूगोल, 1992, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ
6. डॉ डी0एस0 मौर्य, अधिवास भूगोल, 2017, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृ० 95, 118
7. सिंह, सविन्द्र, पर्यावरण भूगोल, 2009, प्रयाग पुस्तक भूगोल, इलाहाबाद, पृ० 215, 259
8. जनपद सांख्यिकीय पत्रिका आजमगढ़ 2018
9. जनपद कृषि विभाग आजमगढ़ 2015–16